न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/412/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. जयचन्द पिता मांगीलाल जाति रेगर (बोला) आयु वयस्क निवासी गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. झमकुबाई बेवा मांगीलाल जाति रेगर (बोला) आयु वयस्क निवासी गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. जवाहरमल पिता प्रताप जाति रेगर (बोला) आयु वयस्क निवासी गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारूलाल पिता प्रताप जाति रेगर (बोला) आयु वयस्क निवासी गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मगनीराम पिता प्रताप जाति रेगर (बोला) आयु वयस्क निवासी गोराजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. सीतादेवी पुत्री प्रताप पत्नी किशनलाल जाति रेगर (बोला) आयु वयस्क निवासी हाल मुकाम धनेरियागढ वाला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
5. प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा चित्तौड़गढ़।
6. उपपंजीयन अधिकारी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 24.03.2026

–:निर्णय:–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा निम्बाहेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आ0सं0 667 रकबा 1.08 हैक्ट0 जिसके साबिक आ0सं0 691/5 रकबा 5 बीघा वादी जयचन्द के दादा गंगाराम पिता रामा बोला को आवंटन की गई तथा जरिये इन्तकाल नं0 151 दिनांक 15.07.1971 को खातेदारी में दर्ज की गई।

यह कि वादीगण जयचन्द के दादाजी गंगाराम पिता रामा बोला को जरिये साबिक आ0सं0 691/5 रकबा 5 बीघा आराजी आवंटन अधिकारी के द्वारा आवंटन की गई तथा जरिये इन्तकाल नं0 151 दिनांक 15.07.1971 को खातेदारी अधिकार दिया गया राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया तथा राजस्व कर्मचारियों के द्वारा मौके पर जाकर के गंगाराम को कब्जा सिपूर्द किया गया तथा उसी अनुसार साबिक आ0सं0 691/5 रकबा 5 बीघा आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई एवं वजह सबूत के लिए राजस्व विभाग के द्वारा पासबुक मय नक्शा गंगाराम को दिया गया आवंटन के समय से ही गंगाराम पिता रामा आवंटन सुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा था तथा उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी मांगीलाल काबिज होकर काश्त कर रहा था तथा मांगीलाल की मृत्यु के बाद वादीगण वादगत आराजी पर काबिज होकर के काश्त कर रहे है लेकिन दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियों के द्वारा साबिक आ0सं0 691/5 से हाल नं0 668 रकबा 0.56 हैक्ट0 बनाये गये एवं हाल आ0सं0 667 रकबा 1.08 हैक्ट0 प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज कर दिये जो गलत है जबकि साबिक नक्शा एवं हाल नक्शा मिलान के अनुसार भी वादीगण अपनी आवंटनसुदा आराजी 667 पर ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों के द्वारा हाल आ0सं0 667 प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज कर दिये जो गलत है इसलिए इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाकर के वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित हाल आ0सं0 667 साबिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जाकर के हाल आ0सं0 667 रकबा 1.08 हैक्ट0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

यह कि वादगत आराजीयात आ0सं0 667 रकबा 1.08 है0 का प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है तथा पुरे खाते पर प्रतिवादीगण के द्वारा चुपके से ऋण भी ले लिया है उसी प्रकार प्रतिवादीगण वादगत आराजीयात को बह बक्षीस, विक्रय, दान वसीयत रहन करने पर आमादा है इसलिए पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाकर के प्रतिवादीगण की जरिये स्थाई निषेधाज्ञ से पाबन्द फरमाया जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित हाल आराजी संख्या 667 रकबा 1.08 हैक्ट0 को किसी अन्य व्यक्तियों को बह बक्षीस, विक्रय,दान वसीयत गिरवी नही रखें एवं वादगत आराजी से वादीगण का कब्जा नही हटावें खडे पैड पौधे नही काटे वादीगण की खडी फसल मे नुकसान नही पहुचावें एवं राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 6 वादगत आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करें एवं प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार से मुन्तकील नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नौकर, एजेन्ट परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारीगण से भी नही करावें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाना आवश्यक है अगर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी नही फरमायी गयी और वादगत आराजीयात को प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बह बक्षीस, दान, वसीयत कर दी गई तो वादीगण को अपार नुकसान होगा क्योंकि वादगत आराजी आवंटन के समय उबड खाबड थी खडडे थे जिसको वादीगण के बाप दादाओं द्वारा काफी अंग मेहनत करके एवं काफी धन व्यय करके आबादान किया इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण के द्वारा दिनांक 28.09.2019 को नकल लेने से वाद हेतुक पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि-

यह कि पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जाकर के वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित हाल आराजी संख्या 667 रकबा 1.08 हैक्ट0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावें।

यह कि पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित हाल आराजी संख्या 667 रकबा 1.08 हैक्ट0 को प्रतिवादीगण किसी अन्य व्यक्ति को बह बक्षीस, दान, वसीयत रहन नही करे, कब्जे में दस्तन्दाजी नही करे एवं प्रतिवादी संख्या 6 वादगत आराजी सें संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे राजस्व रेकार्ड को किसी भी तरह से मुन्तकील नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नौकर, एजेन्ट, परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारीगण आदि से भी नही करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 22.07.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में जयचन्द व शिवलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–9 है।

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। आराजी संख्या 691/5 से हाल आराजी संख्या 668 रकबा 0.56 हैक्ट0 बने है जो कि वादीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है, आराजी संख्या 677 रकबा 1.08 हैक्ट0 प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से साबिक आराजी संख्या 691/3 रकबा 5 बीघा से बने है जो कि भू प्रबन्ध से पूर्व भी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता के नाम पर ही दर्ज थी व हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण द्वारा आराजी संख्या 667 की खातेदारी चाही गई है परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल कपासन)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन